[2010] 12 एस. सी. आर. 927

श्याम टेलिंक लिमिटेड वर्तमान में सिस्टेमा श्याम

टेलीसर्विसेज लिमिटेड

बनाम

भारत संघ

(2003 की सिविल अपील सं. 7236)

5 अक्टूबर, 2010

[मार्कंडेय काटजू और टी. एस. ठाकुर, जे. जे.]

धारा 14(ए)(i) सपठित धारा 14ए(i) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997- दूरसंचार अधिनियम के तहत एक कंपनी को लाइसेंस का अनुदान बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया- कुछ तकनीकी कारणों से समझौते में प्रदान किये गये निर्धारित समय के भीतर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में देरी- इस बीच, 'प्रवास पैकेज' की शुरुआत '-कंपनी बिना शर्त पैकेज स्वीकार करती है और लाइसेंस के लिए पूरी राशि का भुगतान करती है। परिसमापन क्षति के लिए राशि की ओर मांग -कम्पनी ने परिसमापन क्षति की पूरी राशि की मांग को चुनौती दी और उनकी वापसी की मांग - न्यायाधिकरण ने चुनौती को

अस्वीकार कर दिया। अपील में निर्धारित कीः कंपनी प्रवास पैकेज को बिना शर्त स्वीकार करने और उस पर कार्य करने के बाद पैकेज की शर्तों पर सवाल उठाने की हकदार नहीं है- पैकेज को बिना शर्त स्वीकार करने के बाद कंपनी को पैकेज के तहत बकाया की वसूली को चुनौती देने से विबंधित करेगा- कंपनी को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह एक ही लिखत का अनुमोदन व खंडन करे। -दूरसंचार अधिनियम, 1885 – साक्ष्य- विबंध।

उक्ति- "जिसे में स्वीकार कर सकता हुं उसे में अस्वीकार नही कर सकता" लागू।

सिद्धांत-लाभ और भार का सिद्धांत की प्रयोज्यता।

अपीलार्थी को दिनांक 4.3.1998 को दूरसंचार अधिनियम, 1885 के तहत बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। लाइसेंस समझौते की यह आवश्यकता थी कि अपीलार्थी को समझौते की तारीख से बारह महीनों के भीतर वाणिज्यिक संचालन शुरू करे। अपीलार्थी, की ओर से वर्ष की समाप्ति के पश्चात जब वाणिज्यिक शुरू करने की अनुमति मांगी गई तो इसे इस आधार पर कि कुछ तकनीकी कमियां हटाने से रह गई है, अस्वीकार कर दिया गया था। इस बीच, प्रतिवादी-भारतसंघ ने प्रवास पैकेज की पेशकश की। अपीलार्थी ने एक पैकेज को बिना शर्त स्वीकृति दी। उत्तरदाता ने पैकेज के संदर्भ में 35 प्रतिशत ब्याज

के साथ बकाया लाइसेंस शुल्क और 7.30 करोड़ रुपये की परिसमापन क्षति की मांग की। अपीलार्थी ने नुकसान की माफी और उसी के लिए प्रार्थना की अस्वीकार किए जाने पर, पूरी परिसमापन क्षति की राशि का भुगतान किया। अपीलार्थी ने दिनांक 5.6.2000 को वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। इसके बाद, प्रतिवादी ने अपीलार्थी से सेवा को देरी से चालू करने के लिए परिसमापन क्षति के रूप में 70 लाख रुपये की और राशि की मांग की। परिसमापन क्षति के लिए 8 करोड़ की मांग से व्यथित होकर अपीलार्थी ने विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की व 8 करोड़ रुपये की पूरी राशि वापस करने की मांग की जिसे अधिकरण ने याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, अपील दायर की गई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया

1. न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में न्यायाेचित था कि वाणिज्यिक परिचालन केवल 5 जून, 2000 को शुरू किया गया था और मध्यवर्ती अवधि के लिए इस तरह के संचालन कमियों के कारण शुरू नहीं किया जा सका पूरी तरह से प्रणाली में दोषों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था जो अपीलार्थी ने स्थापना की थी। यह कहना सही नहीं है कि अपीलार्थी श्याम टेलिंक लिमिटेड वाणिज्यिक कार्य फरवरी 1999 अर्थात एक वर्ष के भीतर जिस तारीख को पक्षों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, में शुरू करने के लिए तैयार था। जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि

उसने वाणिज्यिक शुरू करने की अनुमति देने के लिए आवेदन 3 फरवरी, 1999 को किया था और यह इस तरह की शुरुआत करने के लिए अपनी तैयारी दिखाने के लिए पर्याप्त था। यह विवादित नहीं है कि वास्तविक संचालन केवल 5 जून, 2000 को शुरू हुआ था। न्यायाधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री से स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचित किया गया था कि वाणिज्यिक संचालन की अनुमति पर तभी विचार किया जा सकता है जब लाइसेंस समझौते की निश्चित औपचारिकताओं का पालन किया गया जावे। सामग्री ने आगे स्थापित किया कि संचार इंजनियरिंग केन्द्र (टीइसी) द्वारा बताई गई कमियों को निर्माता जिसके द्वारा अपीलार्थी ने उपकरण खरीदे थे द्वारा दुर नही किया जा सका अपीलार्थी द्वारा खरीदे गए उपकरण के निर्माता ने बाद वाले को एक नए सेट के लिए दिसंबर 1999 में मजबूर किया जो उपकरण अंततः अप्रैल, 2000 में वितरित और स्थापित किये गये थे। इन उपकरणाेंं की स्थापना के बाद ही टी. ई. सी. द्वारा नए परीक्षण प्रमाणपत्र 1 जून, 2000 को जारी किए गए थे जिस पर 5 जून, 2000 को वाणिज्यिक शुरुआत हुई। तथ्य यह है कि अपीलार्थी वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार नहीं था जो इसके 19 फरवरी, 1999 की तारीख के अपने ही पत्र से स्पष्ट है। जुलाई, 1999 में जिसमें अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि इस तरह के संचालन के लिए प्रणाली अभी तक तैयार नहीं थी और अपीलार्थी केवल नई तकनीक की साख व संबंधित

सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की निगरानी और परीक्षण में लगा हुआ था। 25 अगस्त, 1999 के अपीलार्थी के पत्र से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी सेवा के औपचारिक शुभारंभ के लिए कोई निश्चित तिथि इंगित करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में प्रणाली नहीं थी। उपरोक्त स्वीकारोक्ति के आलोक में जो अपीलार्थी के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत है, अपीलार्थी के लिए यह कहना आसान नहीं है कि वह फरवरी, 1999 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार था।[अनुच्छेद 7,8 और 9] [936-सी-एफ; 937-डी-जी; 938-बी-डी]

2. न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में भी न्यायसंगत था कि आरंभ करने के लिए अपीलार्थी को संचालन की अनुमति से इंकार न तो मनमाना था और न ही दुर्भावनापूर्ण, विशेष रूप से सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं को सफलतापूर्वक चालू करने के लिए जब लाइसेंस समझौते में उपयुक्त उपकरण की व्यवस्था और स्थापना करने के लिए अपीलार्थी को टी. ई. सी. द्वारा प्रचलित तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करना था न तो अनुपालन किया गया और न ही सभी प्रदर्शन परीक्षणों को पुरा किया गया। यह दलील कि प्रतिवादी ने अन्य सेवा प्रदाताओं के मामले में इसी तरह की कमियों को नजरअंदाज करके मनमाने ढंग से और भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है, न्यायाधिकरण ने इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया है कि अपीलकर्ता के मामले में पाई गई कमियों की प्रकृति, अन्य मामलों में पाए गए कमियों के समान नही पाए गए, जहां अनुमति दी गई

थी। अपीलकर्ता अन्य सेवा प्रदाताओं को भी पक्षकार बनाने में विफल रहा और न ही यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री पेश की गई कि उसके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था। जब तक समझौते की शर्तें उत्तरदाताओं को उक्त समझौते में निर्धारित शर्तों का पालन करने में अपीलकर्ता की ओर से विफलता के कारण वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार देती हैं, जिसमें शर्त में एक दोष-मुक्त कुशल प्रणाली शामिल थी, तथ्य यह है कि कुछ अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके मामलों के विशिष्ट तथ्यों में अनुमति दी गई थी और उनके सिस्टम में कथित रूप से देखी गई कमियां अपीलकर्ता के लिए एक पैकेज के आधार पर उठाई गई मांग पर सवाल उठाने का मामला नहीं बन सकीं, जिसे अपीलकर्ता ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया था। और जिसके अनुसरण में बिना किसी आपत्ति के 7.3 करोड़ रुपये की राशि के परिसमापन क्षति के एक बड़े हिस्से को स्वीकार कर लिया गया था। [पैरा 9 और 10] [938 डी-एच; 939-ए-सी]

3. न्यायाधिकरण ने यह भी सही अभिनिर्धारित किया कि परिसमाप्त क्षति की गणना सेवाओं की शुरुआत के साथ-साथ उन्हें सीमित करना कुल 8 करोड़ रुपये की राशि पक्षकारों के बीच निष्पादित लाइसेंस की शर्तें के अनुरूप थी। सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि किसी भी त्रुटि से परिसमाप्त क्षति की गणना में गड़बड़ी हुई है और न ही किसी त्रुटि को न्यायाधिकरण के समक्ष इंगित किया गया था।[पैरा 11] [939-डी-ई]

4. प्रवास पैकेज का बिना शर्त स्वीकार करने के पश्चात अपीलार्थी को उसकों प्रश्नगत करने का अधिकार नहीं था। प्रवास पैकेज जो सेवाप्रदाता को दिया गया था, की एक आवश्यक शर्त परिसमापन क्षति का भुगतान था। बकाया लाइसेंस शुल्क के भुगतान सहित पैकेज की बिना शर्त स्वीकृति उस पर देय ब्याज और परिसमापन क्षति, प्रवास पैकेज की विशिष्ट आवश्यकता थी जिसे अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। पैकेज की शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति और वह लाभ जो अपीलार्थी को इसके तहत प्राप्त हुआ, वह अपीलार्थी को पैकेज या प्रक्रिया के तहत बकाया की वसूली व इसके निर्धारण की प्रकिया को चुनौती देन से विबंधित करेगा। [पारस 12,13 और 18] [939-एफ-जी; 940 बी; 943-सी-डी]

5. यद्यपि अपीलकर्ता ने परिसमाप्त क्षति की माफी की मांग की थी, फिर भी उस अनुरोध को अस्वीकार करने पर उसने मांग की गई राशि का भुगतान कर दिया था, जिसने भुगतान करने के दायित्व की ओर से एक स्पष्ट स्वीकृति का संकेत दिया था। अपीलकर्ता ने उचित कार्यवाही करने और विकल्प चुनने से पहले न्यायिक प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के बजाय, छूट और जमा राशि की दलील छोड़ दी, जो स्पष्ट रूप से भुगतान करने के अपने दायित्व को स्वीकार करने का संकेत देता है, खासकर जब यह केवल भुगतान पर था कि प्रवास पैकेज लाभ का उठाने की अनुमति दी जा सकती है। इस स्तर पर अपीलार्थी को प्रवास पैकेज के तहत उठाई गई मांग पर सवाल उठाने के लिए अनुमति देना

इसके बराबर होगा कि जो उसके लिए अनुकूल था उसे स्वीकार करें और जो उसके लिए अनुकूल नहीं था उसे अस्वीकार करें। अपीलार्थी अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकता है। कहावत "जिसे में स्वीकार कर सकता हुं उसे में अस्वीकार नही कर सकता" लाभ और भार के सिद्धांत के समान है और जो अपने सबसे बुनियादी स्तर पर प्रदान करता है कि एक व्यक्ति एक लिखत के तहत लाभ उठा रहा है जो लाभ प्रदान करता है और एक भार अधिरोपित करता है, पूर्ववर्ती का पालन किए बिना दुसरा नही ले सकता है। एक व्यक्ति ऐसा नही कर सकता कि उसी लिखत को स्वीकार और अस्वीकार करें या स्वीकार करें और अस्वीकार करें। [पैरा 13] [939-डी-एच; 941-ए]

अंबू नायर बनाम केलु नायर ए. आई. आर. 1933 पी. सी. 167; सिटी मोंटेसरी स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2009) 14 एस. सी. सी. 253; नया बिहार बीड़ी,

लीव्स कं. बनाम बिहार राज्य 1981 (1) एस. सी. सी 537; आर. एन.

गोस्वैन बनाम यशपाल धीर एआईआर 1993 एस. सी. 352 पर भरोसा किया।

अमेरिकी न्यायशास्त्र, दूसरा संस्करण, खंड 28, पृष्ठ 677-680 -संदर्भित किया गयाः

संदर्भित विधि विनिश्चय

ए. आई. आर. 1933 पी. सी. 167	भरोसा किया पैरा 13
(2009) 14 एस. सी. सी. 253	भरोसा किया पैरा 14
1981 (1) एस. सी. सी. 537	भरोसा किया पैरा 15
ए आई आर 1993 एस. सी. 352	भरोसा किया पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 7236/2003

याचिका संख्या 24/2001 में दूरसंचार विवाद समझौता और अपीली अधिकरण निर्णय और आदेश 9.4.2003 से

अपीलार्थी की ओर से सुब्रमण्यम प्रसाद और रोहित टंडन।

टी. एस. दोआबिया, श्वेता वर्मा (ए. के. शर्मा के लिए) उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

टी. एस. ठाकुर, जे. 1. धारा 18 (1) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत यह अपील निर्देशित है जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 9 अप्रैल, 2003 को पारित एक आदेश के विरुद्ध विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण जिसके द्वारा याचिका संख्या 24/2001 धारा 14(ए)(आई) सपठित धारा 14ए(1) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत दायर किया गया जिसे

न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है। अपील को जन्म देने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स शुरुआत में सारांशित किया जा सकता है।

2. अपीलार्थी-श्याम टेलीलिंक लिमिटेड को राजस्थान सर्कल में बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 4 मार्च, 1998 को भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1885 के तहत लाईसेंस दिया गया था। एक लाइसेंस पक्षों के बीच समझौता निष्पादित किया गया था कि, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी को उस तारीख से बारह महीने जब समझौता हुआ था इसके भीतर वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की आवश्यकता थी। न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी का मामला और हमारे समक्ष भी यह है कि वह वाणिज्यिक शुरू करने के लिए तैयार था, ऐसा करने के लिए उत्तरदाताओं की अनुमति थी, हालांकि, इस आधार पर इनकार किया कि कुछ तकनीकी कमियों को दूर किया जाना बाकी है और कुछ शर्तें अनुमति के अनुदान को पूरा किया जाना बाकी था। इस बीच ऐसा प्रतीत होता है कि भारत संघ ने प्रवास पैकेज की पेशकश की है जो अपीलार्थी श्याम टेलीलिंक लिमिटेड को 22 जुलाई, 1999 को दिया गया था जिसमें निर्धारित लाइसेंस शुल्क को 1 अगस्त, 1999 से राजस्व-साझाकरण व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। इस शर्त के अधीन कि 31 जुलाई, 1999 को देय ब्याज सहित सभी बकाया देय राशि का कम से कम 35 प्रतिशत और परिसमापन क्षति का पूरा भुगतान अपीलार्थी द्वारा 15 अगस्त, 1999 को या उससे पहले किया जाना है। प्रवास पैकेज ने आगे

प्रदान किया कि कंपनी को निर्धारित सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा और लाइसेंसधारी या उसके संघों द्वारा भारत संघ के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाहियां को वापस लेना होगा।

3. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी ने 22 जूलाई, 1999 को प्रवास पैकेज को बिना शर्त स्वीकृति दे दी, न ही यह विवादित है कि 10 अगस्त, 1999 को प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सलाह दी कि रु. 6,74,90,481/- बकाया लाइसेंस शुल्क के लिए और इस रुपये की राशि के अलावा उस पर देय ब्याज 7.30 करोड़ परिसमाप्त क्षति के लिए देय थे जो अंतरिम रूप से तय किये गये थे। अपीलार्थी-कंपनी को सूचित किया गया था कि प्रवास पैकेज की शर्तों के अनुसार कुल लाइसेंस शुल्क कम से कम 35 प्रतिशत ब्याज राशि के सहित रु. 6,74,90,481/- का भुगतान 16 अगस्त, 1999 को या उससे पहले होना था और शेष को 30 नवंबर, 1999 तक वित्तीय बैंक गारंटी द्वारा कवर किया जाना था। देय परिसमापन क्षति अपीलार्थी-कंपनी से पूरी मांग की गई और उसे 16 अगस्त, 1999 को या उससे पुर्व भुगतान करना था।

4. अपीलार्थी द्वारा ऊपर उल्लिखित राशियों के भुगतान की मांग करने वाली सूचना प्राप्त होने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने परिसमापन नुकसान की माफी के लिए प्रार्थना इस आधार पर की कि कुछ प्रक्रियात्मक विलंब के कारण निर्धारित तिथि तक वाणिज्यिक संचालन शुरू

नहीं हो सका। उस प्रार्थना को विचार पर अस्वीकार कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने बकाया लाइसेंस शुल्क का 35 प्रतिशत व 2.36 करोड़ रु ब्याज राशि 16 अगस्त, 1999 का भुगतान भी किया। सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार नुकसान की भरपाई के लिए 7 करोड़ 30 लाख रुपये की सम्पुर्ण राशि का भूगतान भी किया।

5. राजस्थान में अंततः अपीलार्थी-कंपनी द्वारा 5 जून 2000 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा मार्च, 2001 सेवा में चालू होने में देरी के लिए परिसमापन क्षति के रूप में 70 लाख रूपये की एक और राशि के भुगतान की मांग की गई थी। नुकसान की भरपाई के लिए 8 करोड़ रुपये की मांग जिसे अपीलार्थी पहले ही 7.30 करोड रुपये का भुगतान कर चुका था, के विरूद्ध 16 अगस्त, 1999 को अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी का मामला न्यायाधिकरण के समक्ष यह था कि वह वाणिज्यिक शुरू करने के लिए तैयार था फरवरी 1999 के अंतिम सप्ताह में संचालन और मांग की थी एक मनमाने, अवैध और भेदभावपूर्ण तरीके से उतरदाता द्वारा अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि परिसमापन किए गए नुकसान की वसूली, इसलिए खराब थी, जिसने पूरे नुकसान की वापसी की मांग की। परिसमापन क्षति के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि की वसूली उससे वापिस मांग की।

6. प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका का विरोध किया। अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता-अपीलार्थी से उत्पन्न होने वाली किसी भी मांग पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं था इसके बाद पक्षों के बीच निष्पादित समझौता बिना शर्त प्रवास पैकेज को स्वीकार किया गया जिसके तहत यह बकाया लाइसेंस शुल्क को कम किए बिना जमा करने के लिए सहमत हो गया साथ ही लाइसेंस समझौते के तहत देय परिसमापन क्षति भी। प्रत्यर्थी ने यह भी अभिकथित किया कि अपीलार्थी सेवा को चालू करने के लिए तैयार नहीं था जैसा उसके द्वारा प्रत्यर्थी को संसूचित की गई स्वीकृति से स्पष्ट था। प्रतिवादी द्वारा आगे बताया गया कि वास्तविक परिसमाप्त क्षति की गणना अपीलकर्ता द्वारा वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के बाद ही की जा सकती है। इसके बाद वास्तविक शुल्क गणना उत्तरदाता के अनुसार 29.86 करोड़ रूपये निर्धारित की गई थी लेकिन लाइसेंस के तहत निर्धारित स्पष्ट सीमा के संदर्भ में मांग 8 करोड़ रुपये तक सीमित थी। प्रवास पैकेज 7.3 करोड़ रूपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। 70 लाख के भुगतान की मांग केवल प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया था। यह भी दावा किया गया था कि प्रत्यर्थी ने कहा कि अपीलार्थी ने रुपये की राशि की गणना पर विवाद नहीं किया था। गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए परिसमापन क्षति के रूप में 7.3 करोड़ रुपये प्रवास पैकेज के समय सेवा को चालू करना और अन्य देय राशि के साथ भी ऐसा ही भुगतान किया। ऐसा करने के बाद, प्रवास पैकेज जिसमें एक

विशिष्ट शर्त थी कि पैकेज की स्वीकृति को पूर्ण माना जाएगा और सभी मौजूदा विवादों का अंतिम निपटान, चाहे जो भी हो याचिकाकर्ता-अपीलार्थी द्वारा यह सवाल नहीं किया जा सका कि वे वर्तमान पैकेज से संबंधित हैं या नहीं। उत्तरदाता द्वारा परिसीमा के प्रश्न को भी उठाया और इस आधार पर याचिका की पोषणीयता को चुनौती दी। दिनांकित आदेश 9 अप्रैल, 2003 के अनुसार न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 7236/2003 दायर किया।

7. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता ने अपील के सर्मथन में दोहरा तर्क दिया। सबसे पहले तो यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी वाणिज्यिक रूप से सेवा फरवरी, 1999 मे शुरू करने के लिए तैयार था जिस तारीख को दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने जयपुर में 3 फरवरी, 1999 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की अनुमति के अनुदान के लिए आवेदन किया था। अपीलार्थी के अनुसार इस तरह के संचालन शुरू करने के लिए अपनी तैयारी दिखाने के लिए अपीलार्थी के लिए पर्याप्त था। हमारी राय में, उस विवाद में कोई बल नहीं है। यह विवादित नहीं है कि वास्तविक संचालन केवल 5 जून, 2000 को शुरू हुआ। न्यायाधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि बीच की अवधि के दौरान

अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा सूचित किया गया था कि वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए मंजूरी पर निम्नलिखित के बाद ही विचार किया जा सकता है। लाइसेंस समझौते की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया:

(क) लाइसेंस शुल्क की अगली किस्त का भुगतान 3.3.1999 पर देय;

(ख) निष्पादन बैंक गारंटी का प्रावधान (पी. बी. जी.) और उन्नत वित्तीय बैंक शुरू होने से पहले अपेक्षित राशि और वैधता के लिए गारंटी (एफ. बी. जी.) अगले वर्ष 3.3.1999;

(ग) वाणिज्यिक संचालन शुरू होने से पहले टीईसी द्वारा बताई गई कमियों का सुधार,

(घ) प्रतिबद्ध लक्ष्यों के अनुसार डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन्स (डीईएल-एस) और ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी-एस) प्रदान करने के संबंध में योजना प्रस्तुत करना, ऐसा न करने पर लिक्विडेटेड हर्जाना (एलडी-एस) देय होगा; और

(ड) एक अलग बैंक खाते की स्थापना, (एक एस्क्रो खाता जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है, लाइसेंस समझौते की शर्त 18.6)।

8. सामग्री ने आगे स्थापित किया कि टी. ई. सी. द्वारा दर्शित कमियों को अपीलार्थी द्वारा खरीदे गए उपकरण के मेसर्स क्वालकॉम निर्माता द्वारा ठीक नहीं किया जा सका, दिसंबर 1999 में एक नए विक्रेता से उपकरण के एक नए सेट के लिए जाने के लिए मजबूर किया गया जो

उपकरण अंततः अप्रैल 2000 में वितरित और स्थापित किये गये। उक्त उपकरण की स्थापना के बाद ही 1 जून, 2000 को टी. ई. सी. द्वारा नए परीक्षण प्रमाणपत्र 5 जून, 2000 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए जारी किये गये। तथ्य यह है कि अपीलार्थी वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए फरवरी, 1999 में तैयार नहीं था, जो 19 जुलाई, 1999 के अपने ही पत्र से स्पष्ट है, जिसमें अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि प्रणाली इस तरह के संचालन के लिए अभी तक तैयार नहीं था और अपीलार्थी केवल नई तकनीक और संबंधित सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की साख की निगरानी और परीक्षण में लगा हुआ था। अपीलार्थी के 25 अगस्त, 1999 के पत्र से स्पष्ट कि अपीलार्थी सेवा के औपचारिक शुभारंभ के लिए कोई निश्चित तिथि इंगित करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुई थी। पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

".....इस स्तर पर वाणिज्यिक शुभारंभ की औपचारिक शुरुआत के लिए हम किसी तारीख का संकेत देने में असमर्थ हैं।अभी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए हमारे सिस्टम में स्रकमण हैं। किसी भी मामले में 75 प्रतिशत प्रणाली की लोडिंग के बाद भी उपकरण के व्यवहार की निगरानी के लिए परीक्षण जारी रखना होगा जिसका डीओटी/एम. टी. एन. एल. प्रणालियों की स्वीकृति परीक्षण के दौरान भी पालन किया जा रहा है। हालांकि, हम दिसंबर 1999 के मध्य तक सेवाओं का

व्यावसायीकरण करने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपूर्तिकर्ता लगातार सॉफ्टवेयर में सक्रमण को हल करने का काम कर रहा है "।

9. उपरोक्त स्वीकृति के आलोक में अपीलार्थी के खिलाफ सबसे अच्छी साक्ष्य है कि यह अपीलार्थी के लिए खुला नहीं है वह यह तर्क दे कि वह फरवरी 1999 में वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार था। इसलिए न्यायाधिकरण यह निर्धारित करने में पूरी तरह से उचित था कि यह मानते हुए कि वाणिज्यिक संचालन केवल 5 जून, 2000 को शुरू किए गए थे और इस बीच की अवधि के लिए कमियों के कारण परिचालन शुरू नहीं किया जा सका जो पूरी तरह से प्रणाली में दोषों के लिए जिम्मेदार थे जो अपीलार्थी ने स्थापना की थी। हमारी राय में न्यायाधिकरण यह मानते हुए न्यायसंगत था कि अपीलार्थी को अनुमति से इनकार करना न तो मनमाना था और न ही दुर्भावनापूर्ण था, खासकर जब लाइसेंस समझौते की शर्तों में अपीलकर्ता को दूरसंचार इंजीनियरिंग द्वारा प्रचलित तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त उपकरणों की व्यवस्था करने और स्थापित करने की आवश्यकता होती है। केंद्र का अनुपालन नहीं किया गया और न ही सार्वजनिक उपयोग के लिए सेवाओं को चालू करने से पहले लाइसेंसकर्ता द्वारा सेवाओं के सफल संचालन के लिए आवश्यक सभी प्रदर्शन परीक्षण किए गए।

10. यह तर्क कि प्रतिवादी ने मनमाने ढंग से काम किया है अन्य सेवा प्रदाताओं के मामले में भी कमियां हैं न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर सही ढंग से खारिज किया गया कि अपीलार्थी के मामले में पाई गई कमियों की प्रकृति अन्य मामलों में पाए गए लोगों के समान नहीं पाए गई हैं, जहाँ अनुमति दे दी गई। वास्तव में, अपीलार्थी को अन्य सेवा प्रदाताओं को शामिल करने का अवसर दिया गया था कि आरोप की विस्तार से जांच की जा सकती है लेकिन अपीलार्थी ऐसा करने में विफल रहा और न ही दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई थी कि उसके साथ कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था। किसी भी कीमत पर तब तक जब तक समझौते की शर्तें उत्तरदाताओं को वाणिज्यिक शुरू करने की अनुमति से इनकार करने का अधिकार देती हैं अपीलार्थी की ओर से विफलता के कारण संचालन उक्त समझौते में निर्धारित शर्तों का पालन करना, किस स्थिति में एक दोष-मुक्त कुशल प्रणाली शामिल थी, तथ्य कि कुछ अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके मामलों के विचित्र तथ्यों और कथित रूप से देखी गई कमियों में अनुमति दी गई थी, उनके सिस्टम में अपीलार्थी के लिए एक पैकेज के आधार पर उठाई गई मांग पर सवाल उठाते का एक मामला नहीं बना सका, जो अपीलार्थी ने बिना शर्त और उसके अनुसार स्वीकार किया था, जो रुपये की परिसमापन क्षति के एक बड़े हिस्से 7 करोड़ 3 लाख रुपये को बिना किसी आपत्ति के जमा करवा दिया।

11. न्यायाधिकरण ने भी ऐसा माना है और हमारे विचार में यह सही है कि सेवाओं की शुरुआत न करने के साथ-साथ उन्हें एक तक सीमित करने के लिए परिसमाप्त क्षति की गणना कुल 8 करोड़ रुपये की राशि पक्षों के बीच निष्पादित लाइसेंस शर्तें के अनुरूप थी। हमारे सामने ऐसा कुछ भी नही हैै जो दर्शित करे कि परिसमापन क्षति की गणना में कोई त्रुटि हुई है और न ही ऐसी कोई त्रुटि को न्यायाधिकरण के समक्ष इंगित किया गया है। वास्तव में, उत्तरदाताओं के अनुसार नुकसान की राशि रु 29.86 करोड को लाइसेंस समझौते में निर्धारित सीमा के स्पष्ट संदर्भ में यह 8 करोड़ रुपये तक सीमित था।

12. तथ्यात्मक पहलुओं के अलावा हमें यह याद रखना होगा कि परिसमापन क्षति का भुगतान प्रवास पैकेज जो सेवा प्रदाता को दिया गया था, की एक आवश्यक शर्त थी। पैकेज की बिना शर्त स्वीकृति, जिसमें बकाया लाइसेंस शुल्क का भुगतान और उस पर देय ब्याज शामिल है, और प्रवास पैकेज की एक विशिष्ट आवश्यकता थी, जिसे निम्नलिखित शब्दों में की गई घोषणा के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा स्पष्टता के साथ स्वीकार किया गया थाः

".....उपर उल्लेखित संदर्भित पत्र 842-153/99-वीएएस(वोल्व पांच)(पं.) दिनांक 22 जुलाई, 1999 को इस विषय पर का उल्लेख किया गया। मैं इसके लिए प्रस्तावित पैकेज के संबंध में लाइसेंसधारी की ओर से बिना शर्त

स्वीकृति प्रदान करता हूं। संदर्भित पत्र में दिए गए नियमों और शर्तों पर मौजूदा लाइसेंसों को एन. टी. पी. 1999 व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रस्तावित पैकेज..."

13. पैकेज की शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति और इसके तहत अपीलार्थी को मिलने वाला लाभ, अपीलार्थी को पैकेज के तहत बकाया राशि की वसूली या उसके निर्धारण की प्रक्रिया को चुनौती देने से रोक देगा। बकाया लाइसेंस शुल्क या उस पर देय ब्याज के भुगतान के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है और यह सही भी है। यह विवाद 8 करोड रुपये के परिसमापन नुकसान की गणना तक सीमित है, जिसमें से 7.3 करोड़ रुपये का भुगतान अपीलार्थी द्वारा शुरुआत में बिना किसी आपत्ति के किया गया था, जिसके बाद 29 मई, 2001 को 70 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। अपीलार्थी ने परिसमापन क्षति की माफी की मांग की थी, फिर भी उस अनुरोध को अस्वीकार करने पर उसने मांग की गई राशि का भुगतान कर दिया था, जो भुगतान करने के दायित्व की ओर एक स्पष्ट स्वीकृति को दर्शित करता है। यदि अपीलार्थी ने अपनी मांग को चुनौती देने का प्रस्ताव रखा, तो किसी ने भी उसे उचित कार्यवाही का सहारा लेने और अपने विकल्प का प्रयोग करने से पहले न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने से नहीं रोका। ऐसा करने के बजाय, अपीलार्थी ने छुट की दलील छोड दी और राशी जमा कर दी जो स्पष्ट रूप से भुगतान करने के दायित्व की स्वीकृति का संकेत देती है,

विशेषरूप से जब केवल ऐसे भुगतान पर ही उसे प्रवास पैकेज का लाभ उठाने की इजाजत दी जा सकती थी। इस स्तर पर अपीलार्थी को प्रवास पैकेज के तहत उठाई गई मांग पर सवाल उठाने की अनुमति देना अपीलार्थी को जो उसके अनुकूल था उसे स्वीकार करने और जो नहीं था उसे अस्वीकार करने की अनुमति देने के समान होगा। अपीलकर्ता स्वीकार या अस्वीकार एक साथ नही कर सकता है। कहावत क्वि एप्रोबेट नॉन रिप्रोबेट (जो स्वीकार करता है वह पुनः अस्वीकार नहीं कर सकता) अंग्रेजी सामान्य विधि में दृढ़ता से सन्निहित है और प्रायः इस देश में न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। यह लाभ और भार के सिद्धांत के समान है जो अपने सबसे बुनियादी स्तर पर यह प्रावधान करता है कि एक ऐसी लिखत के तहत लाभ लेने वाला व्यक्ति जो लाभ देता है और भार डालता है, बाद वाले का अनुपालन किए बिना पूर्व को नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति एक ही लिखत का अनुमोदन या खंडन या स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता है। अंबु नायर बनाम केलू नायर एआईआर 1933 पीसी 167 में सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया था:

"इस प्रकार लगभग शर्तों में,अन्य बंधक ऋण का भुगतान प्राप्त करने के लिए सूदखोरी बंधक के तहत भुनाए जाने की पेशकश की गई, लार्डशीप समझते है कि अपीलकर्ता लौटकर यह नही कह सकता है कि सूदखोरी बंधक के तहत मोचन को लगभग रोक दिया गया था सत्रह साल पहले उसने भुगतान प्राप्त किया था। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी

कोई भी पक्ष अनुमोदन और खंडन दोनों एक साथ नहीं कर सकता। वह स्मिथ बनाम बेकर (1878) एलआर 8 सीपी 350 एट पी में हनीमैन, जे. के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता कि एक ही समय ठंडा और गर्म नही हो सकता। वह एक समय में यह नहीं कह सकता कि संव्यवहार वैध है और इस तरह कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है जिसके लिए वह केवल इस आधार पर हकदार हो सकता है कि यह वैध है, और दूसरे समय में यह नहीं कह सकता कि यह कुछ और लाभ हासिल करने के उद्देश्य से शून्य है।"

14. उपरोक्त निर्णय में लिए गए विचार को इस न्यायालय द्वारा सिटी मोंटेसरी स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रदेश और अन्य (2009) 14 एससीसी 253 दोहराया गया है। इसी आशय का विनिश्चय न्यू बिहार बीरी लीव्स कंपनी बनाम बिहार राज्य 1981 (1) एस. सी. सी. 537 में इस न्यायालय ने कहाः

"यह सामान्य अनुप्रयोग का एक मौलिक सिद्धांत है कि यदि अपनी मर्जी से एक व्यक्ति, कुछ पर एक अनुबंध स्वीकार करता है, अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए उसे अनुबंध की कुछ शर्तों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ और उसी अनुबंध की अन्य शर्तों को अस्वीकार कर दिया जो हो सकता है उसके लिए नुकसानदेह। कहावत है क्वि एप्रोबेट नॉन रिप्रोबेट (जो अनुमोदन करता है

वह खंडन नहीं कर सकता)। हालांकि मूल रूप से यह सिंद्धात स्कॉट्स कानून से उधार लिया गया था, अब अंग्रेजी सामान्य कानून में दृढ़ता से सन्निहित है। के अनुसार किसी लिखत या संव्यवहार का पक्ष लिखत या संव्यवहार के एक भाग का लाभ और बाकी को अस्वीकार नही कर सकता है। कहने का मतलब है, कोई भी पक्ष किसी लिखत व संव्यवहार को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता (प्रति स्क्रूटन, एल. जे., वर्सेज क्रीमरीज लिमिटेड बनाम हल और नीदरलैंड स्टीमशिप कंपनी)"

15. इस न्यायालय के निर्णय आर. एन. गोस्वैन बनाम यशपाल धीर ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 352, में निम्नलिखित शब्दों में उसी निष्कर्ष के समर्थन में चुनाव के सिद्धांत को सामने लाता हैः

" 10. कानून किसी व्यक्ति को अनुमोदन और अननुमोदन दोनों की अनुमति नहीं देता है। यह सिद्धांत चुनाव के सिद्धांत पर आधारित है जाे यह मानता है कि कोई भी दल स्वीकार नहीं कर सकता है और एक ही उपकरण को अस्वीकार करें और "एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता है एक समय जब कोई लेन-देन वैध होता है और इस प्रकार प्राप्त होता है कुछ लाभ, जिसके लिए वह केवल हकदार हो सकता है इस आधार पर कि यह वैध है, और फिर मुड़ें और कहें कि यह शून्य है कुछ अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से "। [देखिएःवर्सेज क्रीमरीज लिमिटेड बनाम। हल और नीदरलैंड स्टीमशिप कं. लिमिटेड (1921) 2 के. बी. 608, पी. 612 ,

स्क्रूटन, एल. जे.] हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, 4 थ एडन के अनुसार। ,खण्ड. 16, " एक आदेश के तहत लाभ उठाने के बाद (उदाहरण के तौर पर लागत के भुगतान के लिए) एक पक्ष हो सकता है यह कहने से रोक दिया गया है कि यह अमान्य है और इसे अलग करने के लिए कह रहा है"। (पैरा 1508) "

16. अमेरिका में लाभों की स्वीकृति पर रोक उन मान्यता प्राप्त स्थितियों में से एक है जो किसी पक्षकार को किसी अनुबंध या लेनदेन के तहत असंगत पदों को लेने से रोकती है जिसके तहत उसे लाभ हुआ है।

17. अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस, दूसरा संस्करण, खंड 28, पृष्ठ 677-680 निम्नलिखित अंश में 'लाभों की स्वीकृति द्वारा रोक' पर चर्चा करता हैः

" लाभों को स्वीकार करके रोकेंः विबंध अक्सर तथ्यों का ज्ञान या नोटिस रखने वाले व्यक्ति द्वारा लाभों की स्वीकृति और प्रतिधारण पर आधारित होता है। एक लेन-देन, अनुबंध, साधन, विनियमन से जो हो सकता है कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया हो या चुनाव लड़ा हो। यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से असंगत पदों को ग्रहण करने के विरुद्ध नियम की एक शाखा है।

एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, जो जानबूझकर किसी अनुबंध या परिवहन के लाभों को स्वीकार करता है, उसे ऐसे अनुबंध की वैधता या बाध्यकारी प्रभाव या परिवहन को स्वीकार करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

इस नियम को समानता के लिए लागू किया जाना चाहिए और उसे इस तरह लागु नही किया जाना चाहिए कि सही और अच्छे विवेक के सिद्धांतों का उल्लघंन हो।"

18. हमारे द्वारा उपर निर्धारित कारणों से, हमे यह कहने में कोई झिझक नही है कि अपीलार्थी काे अधिकार नहीं है कि प्रवास पैकेज को बिना शर्त स्वीकार करने के बाद प्रवास पैकेज की शर्तों को प्रश्नगत करे।

19. परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज की जाती है, परन्तु दी गई परिस्थतियों में खर्चों के बारे में कोई आदेश नही किया जाता है।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कालूराम (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्वेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्वेश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्वेश्य से भी अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।